संख्याः– 354/78–2–2018–80आई0टी0/2017

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
उ0प्र0 राज्य एकक,
योजना भवन, लखनऊ

विषयः एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली के अन्य उपयोगी मॉड्यूल्स के सम्बन्ध में

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ : दिनॉक : 28 मई 2018

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों में दिनॉक 07 मई 2018 से ई–ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में आगामी दिनॉक 15 अगस्त 2018 से ई–ऑफिस प्रणाली लागू किया जाना है। प्रदेश में एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली कियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 'फाइल मैनेजमेण्ट सिस्टम' को लागू किया गया है, तथा शासन के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को मात्र इस मॉड्यूल का ही प्रशिक्षण दिया गया/जा रहा है।

2 आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संज्ञान में आया है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत उक्त 'फाइल मैनेजमेण्ट सिस्टम' के अतिरिक्त अनेक अन्य मॉड्यूल्स (यथा Leave Management System, Tour Management System, Knowledge Management System, Personnel Information Management System and Chat & Collaborative Messaging System इत्यादि) भी सन्निहित हैं, जो वर्तमान में लागू नहीं किये गये हैं किन्तु शासकीय विभागों के लिए यह उपयोगी हैं।

3 अत इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल्स के सम्बन्ध में विभाग को निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

- एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत अन्य कौन–कौन से मॉड्यूल्स हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि में कार्यान्वित किया जा सकता है?
- सचिवालय प्रशासन के लिए प्रश्नगत मॉड्यूल्स अभी तक प्रस्तावित न किये जाने के क्या कारण हैं? इन मॉड्यूल्स के लिए सचिवालय कर्मियों को कदाचित पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- उक्त मॉड्यूल्स को उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि में कार्यान्वित किये जाने हेतु किस संस्था से सम्पर्क किया जाना होगा ?
- एन.आई.सी. राज्य एकक द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की किस प्रकार से सहायता की जा सकती है?
- उक्त मॉड्यूल्स को कार्यान्वित किये जाने में निहित वित्तीय उपाशय क्या होगा।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः....2....

<u>सॅख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

2 सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मॅत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली–110 001

3 प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि ई–ऑफिस मॉड्यूल्स पर कर्मियों के प्रशिक्षण पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें

4 महा निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, ए–ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव